

Court No. - 51

Case :- WRIT - C No. - 20745 of 2023

Petitioner :- Rahat Ali

Respondent :- State Of U.P. And 4 Others

Counsel for Petitioner :- Najakat Ali

Counsel for Respondent :- CSC

Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.

1.Heard Mr. Mahaveer Yadav, holding brief of Mr. Najakat Ali, learned counsel for the petitioner and Mr. R. C. Srivastava, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents.

2.The instant writ petition has been filed for the following relief:

"(i) issue a writ, order or direction in the nature of writ mandamus commanding and directing the respondent Nos.2, 3 and 4 not to make interference in the peaceful possession of the petitioner over the house in question and further direct the respondent No.2 District Magistrate, Rampur, District-Rampur to decide the representation/application of the petitioner dated 30.05.2023 pending before him expeditiously within stipulated period to be fixed by this Hon'ble Court."

3. On 13.10.2023 following order was passed by this Court:

"1. Short reply to the instruction, filed on behalf of the petitioner is taken on record.

2. Learned counsel for the petitioner on the basis of reply to the instruction dated 13.10.2023 submitted that there is no encroachment by the petitioner over the passage, as such, the demolition of the petitioner's construction is illegal.

3. On the other hand, Mr. O.P. Sharma, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents submitted that in the spot map, the passage has been shown over which the pillar has been constructed by the petitioner, as such, the same has been demolished and no demolition of the residential construction has been made by

the State.

4. In the instruction served to the counsel for the petitioner, the copy of the spot memo has not been annexed.

5. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents is directed to serve the copy of the spot map also which is annexed in the instruction dated 13.10.2023 supplied to the Court on 18.9.2023.

6. Learned counsel for the petitioner shall file further reply taking into consideration the spot memo annexed along with the instruction.

7. Put up this case as fresh on 28.10.2023"

4. In compliance of the earlier order of this Court, petitioner has filed reply to the instruction submitted by learned Additional Chief Standing Counsel, which is taken on record.

5. Learned counsel for the petitioner submitted that construction was raised in the abadi area and there is no encroachment of village pathway in any manner. He further submitted that authorities have illegally demolished the part of the construction belonging to the petitioner without following due procedure of law. He further submitted that authorities be directed to reconstruct the demolished portion of the construction belonging to the petitioner.

6. On the other hand, Mr. R.C. Srivastava, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents submitted that petitioner's house has not been demolished in any manner rather the pillars which were fixed by the petitioner in the village pathway has been demolished. He further placed the spot map of the plot in question in order to demonstrate that pillars which were fixed in the village pathway, has made the village pathway constricted .

7. I have considered the arguments advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.

8. The instruction send by District Magistrate, Rampur is relevant for perusal which is as under:

"सेवा में,
अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

सिविल मिस० रिट याचिका संख्या - 20745/2023
अन्तर्गत अनुच्छेद - 226 भारतीय संविधान)
राहत अली याचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश सरकार आदि प्रत्युत्तरदातागण

माननीय उच्च न्यायालय में योजित सिविल मिस० रिट याचिका नं० 20745/2023 में प्रत्युत्तरदातागण सं० 2 ता 5 की ओर से अनुदेश आख्या निम्नवत हैं-

1. यह कि प्रतिवादीगण सं० 2, 3, 4, व 5 द्वारा रिट याचिकाकर्ता के प्रश्नगत घर पर शान्तिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। मात्र रिट याचिकाकर्ता द्वारा घर के दरवाजे के सामने जो सीमेन्टेड पिलर बनाकर रास्ते को संकरा व अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया था, उस अतिक्रमण को ग्रामवासियों की शिकायत के बाद हटाया गया है।

2. यह कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा ग्रामसभा के सार्वजनिक मार्ग पर सीमेन्ट के पिलर बनाकर उसे संकरा व अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को अपने वाहनों के साथ आवागमन में परेशानी हो रही थी, जिसकी शिकायत शकील पुत्र फिरासत, निवासी असालतपुर, तहसील स्वार, जनपद रामपुर के अतिरिक्त अन्य काफी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, तहसीलदार स्वार व उप जिलाधिकारी स्वार से की थी। ग्रामीण शकील पुत्र फिरासत द्वारा दिनांक 19.05.2023 को श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, स्वार, जिला रामपुर को इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी फोटोप्रति अनुदेश आख्या का संलग्नक - 1 है। उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, स्वार द्वारा राजस्व निरीक्षक को तथा दिनांक 20.05.2023 को रिट याचिका में प्रतिवादी सं० 5 हल्का लेखपाल को जांच कर आख्या देने के निर्देश दिये गये थे। ग्राम पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 23.05.2023 को आम सभा की बैठक भी बुलायी गयी थी, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा काफी संख्या में ग्रामीणों ने भागीदारी की थी और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि चार दिवस में रिट याचिकाकर्ता राहत अली पुत्र अफसर अली द्वारा सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध कर सीमेन्ट के जो पिलर/खम्भे रास्ते में लगाये गये हैं, उन्हें स्वयं हटा ले, वरना प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर व पुलिस बल की मौजूदगी में अवरोध/पिलर को ग्राम पंचायत स्वयं अपने खर्चे पर हटा देगी। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि हल्का लेखपाल जो कि रिट याचिका में प्रतिवादी सं० 5 है, कानूनी कार्यवाही करते हुए यदि रिट याचिका कर्ता दिए गए समय में पिलर नहीं हटाता है तो पर्याप्त पुलिस बल का सहयोग लेकर जे०सी०बी० के माध्यम से स्वयं रास्ते में बनाए गए इन अवरोधों/पिलर को हटा दें। प्रस्ताव की फोटोप्रति अनुदेश आख्या का संलग्नक - 2 है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा जब दरवाजे के सामने खड़े खम्भों(पिलर) जो कि सार्वजनिक मार्ग पर बने हुए थे, को दिये गये समय के अन्दर रिट याचिकाकर्ता द्वारा नहीं हटाया गया तथा पिलर हटाने से साफ इन्कार कर दिया गया, तब रिट याचिका में प्रतिपक्षी सं० 5 के द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा आम सभा में दिये गये निर्देशों में भी अवगत कराया गया। इस पर तहसीलदार महोदय ने दिनांक 29.05.2023 को रिट याचिका में प्रतिपक्षी सं० 5 के अनुरोध पर कार्यवाही के दौरान शान्ति भंग न हो, इस हेतु पुलिस बल की मांग की गयी थी। एस०एच०ओ० स्वार को पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिसकी फोटोप्रति अनुदेश आख्या का संलग्नक - 3 है। पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्यों तथा ग्रामीणों की मौजूदगी में

पुलिस बल के साथ, ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े, दिनांक 29.05.2023 को ग्रामसभा के सार्वजनिक रास्ते में रिट याचिकाकर्ता द्वारा खड़े किये गये पिलरों को हटा दिया गया। इस दौरान रिट याचिकाकर्ता के मकान को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचायी गयी।

3. यह कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में प्रतिवादी सं० 2 जिलाधिकारी महोदय, रामपुर को जो शिकायती पत्र दिनांक 30.05.2023 को प्रेषित किया गया है तथा उसमें जो आरोप लगाए गए हैं, वह सराकर झूठे व मनगढ़ंत हैं। दिनांक 29.05.2023 को जो कार्यवाही की गयी है और सार्वजनिक मार्ग पर खड़े खम्भे/ अवरोध को हटाया गया है, इस सम्पूर्ण कार्यवाही में रिट याचिका कर्ता के मकान को कोई क्षति नहीं पहुंचायी गयी है। मात्र सार्वजनिक मार्ग पर खड़े खम्भे/अवरोधों को हटाया गया है।

4. यह कि रिट याचिका में प्रतिवादी सं० 5 द्वारा जो भी कार्यवाही की गयी है, वह हरगिज ग्राम प्रधान के प्रभाव में नहीं की गयी है, बल्कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के आलोक में तथा उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुपालन में की गयी है।

5. यह कि रिट याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से किसी प्रकार का कोई अन्तरिम आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। चूंकि रिट याचिका में प्रतिवादीगण सं० 2 , 3, व 4 द्वारा रिट याचिका में प्रश्नगत वर्णित घर पर रिट याचिकाकर्ता के शान्तिपूर्ण कब्जे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। इस कारण भी माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका में प्रतिवादीगण सं० 2 , 3 व 4 को निर्देशित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। रिट याचिकाकर्ता द्वारा स्वच्छ हस्त से माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस कारण भी रिट याचिका सव्यय निरस्त होने योग्य है।

अनुदेश आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

प्रतिपक्षीगण सं० 2 ता 5

9. The copy of the spot map is also annexed along with the instruction in support of the averment made in the instruction which fully demonstrate that pillars constructed by the petitioner has made the village pathway constricted.

10. Considering the averment made in the instruction, as well as spot map annexed along with the instruction, no interference is required in the matter as only the pillars which has narrowed down the village pathway has been demolished and there is no demolition of the petitioner's residential house in any manner. The writ petition is dismissed accordingly.

Order Date :- 28.10.2023

PS*